# NGOs का FCRA लाइसेंस रद्द

## प्रलिम्सि के लयि:

वदिशी योगदान (वनियिमन) अधनियिम (FCRA) 2010, गैर-सरकारी संगठन (NGOs), संवधान के अनुच्छेद-19 और 20, अभवि्यक्त कि स्वतंत्रता का अधकिार

## मेन्स के लयि:

भारत में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठनों के FCRA पंजीकरण को रद्द करने से संबंधति मुद्दे, FCRA से संबंधति ववािद, वदिशी योगदान (वनियिमन) संशोधन अधनियिम, 2020

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने वभिनि्न **गैर-सरकारी संगठनों** (NGOs) के **वदिशी योगदान (वनियिमन) अधनियिम (FCRA), 2010** के तहत पंजीकरण को रद्द कर दयाि है।

- FCRA लाइसेंस के नलिंबन का मतलब है क िगैर-सरकारी संगठन अब दाताओं से वदिशी धन प्राप्त नहीं कर सकेंगे, जब तक क िगृह मंत्रालय द्वारा जाँच नहीं की जाती है। वदिशी धन प्राप्त करने हेतु संघों और गैर-सरकारी संगठनों के लयि FCRA पंजीकरण अनविार्य है।

## प्रमुख बदिु

- **पृष्ठभूम:ि**
  - वडोदरा स्थति एक गैर-सरकारी संगठन का FCRA पंजीकरण रद्द कर दयाि गया है, क्योंक िउस पर हदिू समुदाय के सदस्यों को अवैध रूप से धर्म परविर्तति करने, CAA के वरिोध प्रदर्शनों को वत्तिपोषति करने से संबंधति आपराधकि गतविधियिों में संलग्न होने का आरोप लगाया गया है।
  - इसके अलावा दो अन्य ईसाई गैर-सरकारी संगठनों- तमलिनाडु स्थति 'न्यू होप फाउंडेशन' और कर्नाटक के 'होली स्परिटि मनिसि्ट्री' का भी FCRA पंजीकरण रद्द कर दयाि गया है।
  - साथ ही बीते दनिों अधनियिम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 'AFMI चैरटिेबल ट्रस्ट' का FCRA पंजीकरण भी रद्द कर दयाि गया था।
- **पूर्व संदर्भ श्रेणी:**
  - गृह मंत्रालय ने 10 ऑस्ट्रेलयिाई, अमेरकिी और यूरोपीय दानदाताओं को अपनी नगिरानी सूची में शामलि कयाि है।
    - जसिके बाद **भारतीय रज़िर्व बैंक** ने सभी बैंकों को लखिा था क िइन वदिशी दानदाताओं द्वारा भेजे गए कसिी भी फंड को मंत्रालय के संज्ञान में लाया जाना चाहयिे और अनुमत िके बनिा इसकी मंज़ूरी नहीं दी जानी चाहयिे।
  - सभी दानदाता जनिहें वॉचलसि्ट या 'पूर्व संदर्भ श्रेणी' में रखा गया है, वे अधकिांशतः जलवायु परविर्तन, पर्यावरण और बाल अधकिारों के क्षेत्र में काम करते हैं।
- **वदिशी अंशदान (वनियिमन) अधनियिम (FCRA), 2010: भारत में वदिशी वत्तिपोषण को इस अधनियिम के तहत वनियिमति कयाि जाता है और गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वति कयाि जाता है।**
  - कसिी व्यक्त िवशिषिट या गैर-सरकारी संगठन को गृह मंत्रालय की अनुमत िके बनिा वदिशी योगदान स्वीकार करने की अनुमत िहोती है।
  - हालाँक िइस तरह के वदिशी योगदान की स्वीकृत िहेतु मौद्रकि सीमा 25,000 रुपए से कम होनी चाहयिे।
  - अधनियिम यह सुनशि्चति करता है क िवदिशी योगदान प्राप्त करने वाले उस उद्देश्य का पालन करते हैं जसिके लयि ऐसा योगदान प्राप्त कयाि गया है।
  - अधनियिम के तहत संगठनों को प्रत्येक पाँच वर्ष में पंजीकरण कराना आवश्यक है।
  - पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन नमि्नलखिति पाँच उद्देश्यों हेतु वदिशी योगदान प्राप्त कर सकते हैं:
    - सामाजकि, शैक्षकि, धार्मकि, आर्थकि और सांस्कृतकि।
- **वदिशी अंशदान वनियिमन (संशोधन) वधियक, 2020**
  - वदिशी अंशदान स्वीकार करने पर रोक: अधनियिम लोक सेवकों को वदिशी अंशदान प्राप्त करने से रोकता है।
    - लोक सेवक में वे सभी व्यक्त िशामलि हैं, जो सरकार की सेवा में या वेतन पर कार्यरत हैं अथवा जनिहें कसिी लोक सेवा के लयि

सरकार से मेहनताना मलिता है।
    - **वदिशी अंशदान का हस्तांतरण:** अधनियिम वदिशी अंशदान को स्वीकार करने के लयि पंजीकृत कसिी अन्य व्यक्त‍ि को वदिशी अंशदान के हस्तांतरण पर रोक लगाता है।
    - **पंजीकरण के लयि आधार:** अधनियिम पहचान दस्तावेज़ के रूप में वदिशी योगदान प्राप्त करने वाले व्यक्त‍ि, सभी पदाधकिारयिों, नदिेशकों या प्रमुख पदाधकिारयिों के लयि [आधार संख्या](#) अनविार्य बनाता है।
    - **FCRA अकाउंट:** वधियक में यह नर्धिारति कयिा गया है क‍ि वदिशी अंशदान केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडयिा (SBI), नई दल्लिी की उस शाखा में ही लयिा जाएगा, जसि केंद्र सरकार अधसिूचति करेगी।
    - **प्रशासनकि उद्देश्यों के लयि वदिशी अंशदान के उपयोग में कमी:** अधनियिम के अनुसार, प्राप्त कुल वदिशी धन के 20% से अधकि का उपयोग प्रशासनकि खर्चों के लयि नहीं कयिा जा सकता है। FCRA, 2010 में यह सीमा 50% थी।
    - **प्रमाण पत्र का समर्पण/वलिोपन:** अधनियिम केंद्र सरकार को कसिी व्यक्त‍ि के पंजीकरण प्रमाण पत्र को वलिोपति (Surrender) करने की अनुमत‍ि देता है।

## FCRA से संबंधति मुद्दे:

- FCRA भारत में कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के धन प्राप्त‍ि के वदिशी स्रोतों को नयिंत्रति करता है। यह "राष्ट्रीय हति के लयि हानकिारक कसिी भी गतविधि हितु" वदिशी योगदान की प्राप्त‍ि को प्रतबिंधति करता है।
    - अधनियिम में यह भी कहा गया है क‍ि सरकार अनुमत‍ि देने से इनकार कर सकती है यद‍ि उसे लगता है क‍ि NGO को मलिा दान "सार्वजनकि हति" या "राज्य के आर्थकि हति" पर प्रतकिूल प्रभाव डालेगा।
    - हालाँक‍ि 'सार्वजनकि हति' के नर्धिारण हेतु कोई स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं है।
- FCRA प्रतबिंधों का संवधिान के [अनुच्छेद 19(1)(A) और 19(1)(C)](#) के तहत अभवि्यक्त‍ि की स्वतंत्रता तथा संघ की स्वतंत्रता दोनों अधकिारों पर गंभीर परणिाम हो सकते हैं।
- [अभवि्यक्त‍ि की स्वतंत्रता](#) का अधकिार दो तरह से प्रभावति होता है:
    - केवल कुछ राजनीतकि समूहों को वदिशी सहायता प्राप्त करने की अनुमत‍ि देना और अन्य को नहीं, सरकार के पक्ष में पूर्वाग्रह पैदा उत्पन्न कर सकता है।
        - जब NGOs द्वारा शासन पद्धत‍ि की आलोचना की जाती है तो उन्हें बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंक‍ि सरकार की बहुत अधकि आलोचना उनके अस्तत्वि के लयि खतरा उत्पन्न कर सकती है।
        - FCRA मानदंड आलोचनात्मक आवाजों की जनहति के खलिाफ घोषणा करके उन्हें दबा सकते हैं। अभवि्यक्त‍ि की स्वतंत्रता पर इस द्रुतशीतन प्रभाव से 'सेल्फ-सेंसरशपि' का नर्मिाण हो सकता है।
    - जनहति पर अस्पष्ट दशिा-नर्दिेशों की तरह [श्रेया सघिल बनाम भारत संघ](#) **(2015)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने सूचना प्रौद्योगकिी अधनियिम की धारा 66 ए को रद्द कर दयिा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा क‍ि इस अधनियिम का इस्तेमाल इस तरह से कयिा जा सकता है क‍ि अभवि्यक्त‍ि की स्वतंत्रता प्रभावति हो।
- इसके अलावा यह देखते हुए क‍ि संघ की स्वतंत्रता का अधकिार '[मानव अधकिारों की सार्वभौमकि घोषणा](#)' (अनुच्छेद 20) का हसि्सा है, इस अधकिार का उल्लंघन भी मानवाधकिारों का उल्लंघन है।
- अप्रैल 2016 में शांतपिूर्ण सभा और एसोसएिशन की स्वतंत्रता के अधकिारों पर संयुक्त राष्ट्र के वशिेष प्रतवि‍िदक ने FCRA, 2010 का कानूनी वशि्लेषण कयिा।
    - इसमें कहा गया है क‍ि FCRA के तहत लागू 'जनहति' और 'आर्थकि हति' के नाम पर प्रतबिंध 'वैध प्रतबिंधों' के परीक्षण में वफिल रहे हैं।
    - शर्तें बहुत अस्पष्ट थीं और इस प्रावधान को मनमाने ढंग से लागू करने के लयि राज्य को अत्यधकि ववि‍िकाधीन शक्तयिाँ प्रदान की गईं।
- इस संदर्भ में भ्रष्ट गैर-सरकारी संगठनों को वनियिमति करना आवश्यक है और जनहति जैसे शब्दों पर स्पष्टता की आवश्यकता है।

## आगे की राह

- वदिशी योगदान पर अत्यधकि वनियिमन गैर-सरकारी संगठनों के काम-काज को प्रभावति कर सकता है जो क‍ि ज़मीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं को लागू करने में सहायक होते हैं। ये उन अंतरालों को भरते हैं, जहाँ सरकार अपना काम करने में वफिल रहती है।
- इस वनियिम को वैश्वकि समुदाय के कामकाज के लयि आवश्यक राष्ट्रीय सीमाओं के पार संसाधनों के बँटवारे में बाधा नहीं डालनी चाहयि और जब तक यह मानने का कारण न हो क‍ि अवैध गतविधियिों की सहायता के लयि धन का उपयोग कयिा जा रहा है, तब तक इसे हतोत्साहति नहीं कयिा जाना चाहयि।

## स्रोत: द हदिू

---

## अग्न‍ि प्राइम मसिाइल

### प्रलिमि्स के लयि:

अग्नि-पी मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल (वायु संस्करण), वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल (वीएल-एसआरएसएएम), नाग, आकाश, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), आईजीएमडीपी।

## मेन्स के लिये:

अन्य देशों की तुलना में भारत की मिसाइल प्रौद्योगिकी और संबंधित उदाहरण, भारत में मिसाइल प्रौद्योगिकी का विकास।

# चर्चा में क्यों?

हाल ही में **रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन** (DRDO) ने नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल 'अग्नि प्राइम' का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

- **यह मिसाइल का दूसरा परीक्षण है, पहला परीक्षण जून 2021 में हुआ था।**
- अग्नि-पी मिसाइल का लक्ष्य भारत की विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता को और मज़बूत करना है।

# प्रमुख बिंदु

- **परिचय:**
  - अग्नि-पी एक दो चरणों वाली कनस्तरीकृत ठोस प्रणोदक मिसाइल है जिसमें दोहरी नेविगेशन और मार्गदर्शन प्रणाली है।
  - इसे अत्यधिक कौशल और सटीकता सहित बेहतर मापदंडों के साथ अग्नि श्रेणी की मिसाइलों की एक नई पीढ़ी का उन्नत संस्करण कहा गया है।
    - मिसाइलों के कनस्तरीकरण से मिसाइल को लॉन्च करने के लिये आवश्यक समय कम हो जाता है, जबकि भंडारण और संचालन में आसानी होती है।
  - सतह-से-सतह पर मार करने वाली इस बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 1,000 से 2,000 किमी. है।
- **मिसाइलों की अग्नि श्रेणी:**
  - अग्नि श्रेणी की मिसाइलें भारत की परमाणु प्रक्षेपण क्षमता का मुख्य आधार हैं, इनमें **पृथ्वी**- कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, पनडुब्बी से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल और लड़ाकू विमान भी शामिल हैं।
    - 5,000 किमी. से अधिक रेंज वाली एक अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) अग्नि-V का कई बार परीक्षण किया गया था और इसे शामिल करने के लिये मान्य किया गया था।
  - **अग्नि-पी** और **अग्नि-5 बैलिस्टिक मिसाइलों** की उत्पत्ति **एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP)** से हुई है, जिसका नेतृत्व डीआरडीओ के पूर्व प्रमुख और पूर्व भारतीय राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने 1980 के दशक की शुरुआत में किया था।
- **अग्नि मिसाइलों की अन्य रेंज:**
  - **अग्नि I:** 700-800 किमी. की सीमा।
  - **अग्नि II:** रेंज 2000 किमी. से अधिक।
  - **अग्नि III:** 2,500 किमी. से अधिक की सीमा
  - **अग्नि IV:** इसकी रेंज 3,500 किमी. से अधिक है और यह एक रोड मोबाइल लॉन्चर से फायर कर सकती है।
  - **अग्नि V: अग्नि शृंखला की सबसे लंबी**, एक अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) है जिसकी रेंज 5,000 किमी. से अधिक है।
- **हाल ही में परीक्षण की गई मिसाइल:**
  - ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल **(वायु संस्करण)**
  - वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल **(VL-SRSAM)**

# एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम ( IGMDP):

- इसकी स्थापना का विचार प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा दिया गया था। इसका उद्देश्य मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। इसे भारत सरकार द्वारा वर्ष 1983 में अनुमोदित किया गया था और मार्च 2012 में पूरा किया गया था।
- इस कार्यक्रम के तहत विकसित **5 मिसाइलें** (P-A-T-N-A) हैं:
  - **पृथ्वी:** सतह-से-सतह पर मार करने में सक्षम कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल।
  - **अग्नि:** सतह-से-सतह पर मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल, यानी अग्नि (1,2,3,4,5)।
  - **त्रिशूल:** सतह से आकाश में मार करने में सक्षम कम दूरी वाली मिसाइल।
  - **नाग:** तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी मिसाइल।
  - **आकाश:** सतह से आकाश में मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली मिसाइल।

# भारत में मिसाइल प्रौद्योगिकी का इतिहास:

- **मिसाइल प्रौद्योगिकी के बारे में:**
    - आज़ादी से पहले भारत में कई राज्य अपनी युद्ध तकनीकों के हिस्से के रूप में रॉकेट (Rockets) का उपयोग कर रहे थे।
        - मैसूर के शासक हैदर अली ने 18वीं शताब्दी के मध्य में अपनी सेना में लोहे के आवरण वाले रॉकेटों को शामिल करना शुरू किया।
    - आज़ादी के समय भारत के पास कोई स्वदेशी मिसाइल क्षमता नहीं थी।
    - वर्ष 1958 में सरकार द्वारा स्पेशल वेपन डेवलपमेंट टीम (Special Weapon Development Team) गठित की गई।
        - बाद में इसका विस्तार कर इसे रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला (DRDL) कहा जाने लगा जिसे वर्ष 1962 में दिल्ली से हैदराबाद हस्तांतरित कर दिया गया।
    - वर्ष 1972 में मध्यम दूरी की सतह-से-सतह पर मार करने वाली मिसाइल के विकास के लिये प्रोजेक्ट डेविल (Project Devil) शुरू किया गया था।
    - वर्ष 1982 तक DRDL द्वारा एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (Integrated Guided Missiles Development Programme- IGMDP) के तहत कई मिसाइल प्रौद्योगिकियों पर कार्य किया गया।
- **भारत के पास उपलब्ध मिसाइलों के प्रकार:**
    - सरफेस-लॉन्च सिस्टम:
        - **एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल:**
            - नाग
        - **सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल:**
            - आकाश
        - **मीडियम-रेंज सैम:**
            - नौसेना के लिये MRSAM सिस्टम का उत्पादन पूरा हो गया है और नौसेना द्वारा इसका ऑर्डर दिया जा रहा है।
        - **शॉर्ट-रेंज सैम:**
            - नौसेना के लिये इसका पहला परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है।
    - **सेवरल एयर-लॉन्च सिस्टम:**
        - **हवा-से-हवा:**
            - अस्त्र
        - **हवा से ज़मीन:**
            - रुद्रम
            - ब्रह्मोस
- भारत की सबसे महत्त्वपूर्ण मिसाइलें:
    - **अग्नि (लगभग 5,000 किमी. रेंज):**
        - यह भारत की एकमात्र अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (Inter-Continental Ballistic Missile- ICBM) है, जो केवल कुछ देशों के पास उपलब्ध है।
    - **पृथ्वी:**
        - यह 350 किमी. की रेंज वाली सतह-से-सतह पर मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल है और इसके सामरिक उपयोग हैं।
            - अप्रैल 2019 में भारत द्वारा एक एंटी-सैटेलाइट सिस्टम का भी परीक्षण किया गया।
            - पृथ्वी डिफेंस व्हीकल MK 2 नामक एक संशोधित एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग कम ऊँचाई की कक्षा के उपग्रह को हिट करने लिये किया गया।
            - अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत इस क्षमता को प्राप्त करने वाला देश है।
- **हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी:**
    - इस तकनीक के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत दुनिया का चौथा देश है।
    - 'रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन' ने सितंबर 2020 में एक 'हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल' (HSTDV) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था और अपनी हाइपरसोनिक एयर-ब्रीदिंग स्क्रैमजेट तकनीक का प्रदर्शन किया था।
- **पाकिस्तान और चीन की तुलना में भारत की मिसाइल तकनीक:**
    - **भारत**
        - 'इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम' (IGMP) के तहत पहले 'पृथ्वी' और फिर 'अग्नि' मिसाइल को विकसित किया गया।
        - 'ब्रह्मोस' (ध्वनि की गति से 2.5-3 गुना तेज़) के विकसित होने पर यह दुनिया के सबसे तेज़ मिसाइलों में से एक था।
        - भारत अग्नि VI और अग्नि VII पर काम कर रहा है, जिनकी रेंज काफी अधिक होगी।
    - **चीन और पाकिस्तान**
        - यद्यपि चीन भारत से आगे है, किंतु कई विशेषज्ञ मानते हैं कि 'चीन के विषय में बहुत से तथ्य केवल मनोवैज्ञानिक हैं।'
        - चीन ने पाकिस्तान को तकनीक दी है, "लेकिन तकनीक प्राप्त करना और वास्तव में उसका उपयोग करना तथा उसके बाद एक नीति विकसित करना पूर्णतः अलग-अलग हैं।
        - भारत की परमाणु मिसाइलें- 'पृथ्वी' और 'अग्नि' हैं, लेकिन उनसे परे सामरिक परमाणु हथियारों को भारतीय वायु सेना के कुछ लड़ाकू जेट विमानों से या सेना की बंदूकों से दागा जा सकता है, जिनकी सीमा कम होती है, लगभग 50 किलोमीटर है।

## स्रोत: द हिंदू

# तीसरा भारत-मध्य एशिया संवाद

## प्रलिम्सि के लयि:

इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC), मध्य एशियाई देश, चाबहार पोर्ट, चीन की बेल्ट एंड रोड इनशिएटिवि, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइज़ेशन, फाइनेंशयिल एक्शन टास्क फोर्स स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल सोलर एलायंस (ISA), कोलशिन फॉर डजिास्टर रेजलिएिंट इंफ्रास्ट्रक्चर (CDRI), भारतीय तकनीकी और आर्थकि सहयोग (आईटीईसी)।

## मेन्स के लयि:

अफगानसि्तान में शांत‍ि की बहाली में भारत-मध्य एशियाई देशों का महत्त्व, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परषिद (यूएनएससी) में भारत की स्थायी सदस्यता के लयि समर्थन, भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच संबंध।

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में **भारत-मध्य एशिया वार्ता** की तीसरी बैठक नई दलि्ली में आयोजति की गई थी।

- यह भारत और **मध्य एशियाई देशों जैसे- कज़ाखस्तान, करि्गज़िस्तान, ताजकिसि्तान, तुर्कमेनसि्तान और उज़्बेकसि्तान** के बीच एक मंत्री स्तरीय संवाद है।
- भारत ने वर्ष **2020 में भारत-मध्य एशिया वार्ता** की दूसरी बैठक की मेज़बानी की थी।

## प्रमुख बदि:

- **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षणि परविहन गलयिारा:**
  - भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच संपर्क बढ़ाने के लयि **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षणि परविहन गलयिारे (INSTC)** के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय परविहन और पारगमन गलयिारे पर **अश्गाबात समझौते** के **इष्टतम उपयोग पर ज़ोर** दयिा गया है।
    - **INSTC** के ढाँचे के भीतर **चाबहार बंदरगाह** को शामलि करने पर ज़ोर दयिा और मध्य तथा दक्षणि एशिया में क्षेत्रीय संपर्क के वकिास एवं मज़बूती से संबंधति मुद्दों पर सहयोग में रुच‍ि व्यक्त की गई है।
    - **उत्तर-दक्षणि देशों की पारगमन और परविहन क्षमता को वकिसति करने, क्षेत्रीय रसद नेटवर्क में सुधार** करने और **नए परविहन गलयिारे बनाने के लयि संयुक्त पहल** को बढ़ावा देने हेतु सहमत‍ि दर्ज की गई है।
    - भारत और मध्य एशियाई राज्यों के बीच वस्तुओं एवं **सेवाओं की मुक्त आवाज़ाही के लयि संयुक्त कार्य समूहों की स्थापना की संभावना** तलाशने हेतु सहमत‍ि व्यक्त की गई है।
- **कनेक्टविटिी परयिोजनाएँ:**
  - कनेक्टविटिी पहल **(चीन की बेल्ट एंड रोड इनशिएिटवि)** पारदर्शति‍ा, व्यापक भागीदारी, स्थानीय प्राथमकिताओं, वत्तिीय स्थरिता और सभी देशों की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान के सद्धिांतों पर आधारति होनी चाहयि।
- **अफगानसि्तान की स्थति:**
  - **अफगानसि्तान की वर्तमान स्थति** और **तालबिान के कब्ज़े** के बाद क्षेत्र पर इसके प्रभाव पर चर्चा की गई।
    - वर्तमान मानवीय स्थति, आतंकवाद, क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता के सम्मान और एकता जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई है।
  - सभी आतंकी समूहों के खलिाफ ठोस कार्रवाई करने पर ज़ोर दयिा।
    - इस बात पर ज़ोर दयिा गया क‍ि अफगानसि्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवादी हमलों की योजना बनाने के लयि नहीं कयिा जाना चाहयि, साथ ही अफगान लोगों को तत्काल मानवीय सहायता प्रदान करने का वचन भी दयिा गया।
    - आतंकवाद के सभी रूपों की नदिा की गई और 'सुरक्षति पनाहगाह प्रदान करने, सीमा पार आतंकवाद, आतंकवादी वत्तिपोषण, हथयिारों और नशीली दवाओं की तस्करी, कट्टरपंथी वचिारधारा के प्रसार व दुष्प्रचार तथा हसि‍ा को भड़काने हेतु साइबर स्पेस के दुरुपयोग द्वारा आतंकवादी प्रॉक्सी का उपयोग करने का वरिोध कयिा गया।
  - इस दौरान शांतपूिर्ण और स्थरि अफगानसि्तान का समर्थन कयिा गया और उसके आंतरकि मामलों में संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और गैर-हस्तक्षेप के सद्धिांतों पर बल दयिा गया।
  - 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परषिद' के 'प्रस्ताव 2593' के महत्त्व को इंगति कयिा गया, जो क‍ि 'स्पष्ट तौर पर मांग करता है क‍ि अफगान क्षेत्र का उपयोग आतंकवादी कृत्यों को आश्रय, प्रशक्षिण, योजना या वत्तिपोषण के लयि नहीं कयिा जाए और सभी आतंकवादी समूहों के खलिाफ ठोस कार्रवाई का आह्वान कयिा जाए।
- **आतंकवाद वरिोधी प्रयास:**
  - आतंकवादी कृत्यों के अपराधयिों, आयोजकों, वत्तिपोषकों और प्रायोजकों को 'प्रत्यर्पण या मुकदमे' के सद्धिांत के अनुसार न्याय के दायरे में लाया जाना चाहयि।
  - वशि्व समुदाय से प्रासंगकि संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों, वैश्वकि आतंकवाद वरिोधी रणनीत‍ि और वत्तिीय कार्रवाई टास्क फोर्स मानकों को लागू करने का आह्वान कयिा गया।
- **लाइन ऑफ क्रेडटि**

    - सभी देश वर्तमान में मध्य एशिया में बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के लिये पिछले वर्ष भारत द्वारा घोषित 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण के उपयोग पर चर्चा कर रहे हैं।
        - 'लाइन ऑफ क्रेडिट' एक पूर्व निर्धारित उधार सीमा है, जिसे किसी भी समय प्रयोग किया जा सकता है।
        - उधारकर्त्ता आवश्यकतानुसार पैसे निकाल सकता है, जब तक कि सीमा पूरी नहीं हो जाती है और जैसे ही लिये गए पैसों का भुगतान कर दिया जाता है, तो दोबारा उधार लिया जा सकता है।
- **महामारी के बाद रिकवरी:**
    - सभी देशों ने व्यापक टीकाकरण के महत्त्व पर ज़ोर दिया और वैक्सीन साझा करने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, स्थानीय उत्पादन क्षमता के विकास, चिकित्सा उत्पादों के लिये आपूर्ति शृंखला को बढ़ावा देने एवं मूल्य पारदर्शिता सुनिश्चित कर सहयोग का आह्वान किया गया।
- **पर्यटन की बहाली:**
    - भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच पर्यटन एवं व्यापारिक संबंधों की क्रमिक बहाली का समर्थन किया गया।
    - कज़ाखस्तान और किर्गिज़स्तान के विदेश मंत्रियों ने भारत एवं उनके देशों के बीच कोविड-19 टीकाकरण प्रमाणपत्रों की पारस्परिक मान्यता का स्वागत किया, जबकि ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के मंत्रियों ने प्रमाणपत्रों की शीघ्र पारस्परिक मान्यता की मांग की।
- **ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध:**
    - भारत के साथ अपने क्षेत्र के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की स्थापना और कनेक्टिविटी, परिवहन, पारगमन एवं ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावना को उजागर करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
- **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)**:
    - भारत ने पेरिस समझौते के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये सौर ऊर्जा के सामूहिक, तीव्र और बड़े पैमाने पर परिनियोजन में **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन** (ISA)" पहल की भूमिका पर प्रकाश डाला।
- **आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे के लिये गठबंधन:**
    - भारत ने आर्थिक नुकसान को कम करने एवं आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देने में **"आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे के लिये गठबंधन (CDRI)**" की भूमिका को भी रेखांकित किया।
- **UNSC में स्थायी सदस्यता:**
    - विस्तारित और संशोधित **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद** (यूएनएससी) में भारत की स्थायी सदस्यता के लिये अपने देशों के समर्थन को दोहराया गया।
    - UNSC में चल रहे भारत के अस्थायी कार्यकाल और इसकी प्राथमिकताओं का स्वागत किया गया।
- **भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग:**
    - अपने देशों के क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास, विशेष रूप से अंग्रेज़ी भाषा में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार कौशल में भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम की महत्त्वपूर्ण भूमिका की सराहना की गई।

## भारत-मध्य एशिया वार्ता

//

- यह भारत और मध्य एशियाई देशों जैसे- कज़ाखस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान व उज़्बेकिस्तान के बीच एक मंत्री स्तरीय संवाद है।
- शीत युद्ध के पश्चात् वर्ष 1991 में USSR के पतन के बाद सभी पाँच राष्ट्र स्वतंत्र राज्य बन गए।
- तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर वार्ता में भाग लेने वाले सभी देश शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं।
- बातचीत कई मुद्दों पर केंद्रित है जिसमें कनेक्टिविटी में सुधार और युद्ध से तबाह अफगानिस्तान में स्थिरता संबंधी उपाय शामिल हैं।

## स्रोत: द हिंदू

---

## खनिज नियमों में संशोधन

### प्रिलिम्स के लिये:

खनिज की विशेषताएँ; खनिज (खनिज सामग्री के साक्ष्य) नियम, 2015 और खनिज (नीलामी) चौथा संशोधन नियम, 2021; राष्ट्रीय खनिज नीति 2019; भारत में खनिज।

### मेन्स के लिये:

भारत का खनन क्षेत्र, भारत में खनिज वितरण, खनिज नियमों में संशोधन और इसका महत्त्व।

## चर्चा में क्यों?

खनिज (खनिज सामग्री के साक्ष्य) दूसरा संशोधन नियम, 2021 और खनिज (नीलामी) चौथा संशोधन नियम, 2021 को अधिसूचित किया गया है।

- ये दोनों नियम क्रमशः खनिज (खनिज सामग्री के साक्ष्य) नियम, 2015 [एमईएमसी नियम] और खनिज (नीलामी) नियम, 2015 [नीलामी नियम] में संशोधन करते हैं।
- इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने खान और खनिज (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021 को मंज़ूरी दी थी।

## खनिज (खनिज सामग्री के साक्ष्य) नियम, 2015:

- खनिज (खनिज सामग्री के साक्ष्य) नियम, 2015 को जून 2021 में संशोधित किया गया है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ उन क्षेत्रों के संबंध में एक समग्र लाइसेंस प्रदान करने हेतु नीलामी का प्रावधान किया जा सके जहाँ कम-से-कम टोही सर्वेक्षण (जी4) स्तर पूरा हो चुका हो अथवा जहाँ उपलब्ध भू-विज्ञान के आँकड़ों के आधार पर ब्लॉक की खनिज क्षमता की पहचान कर ली गई हो लेकिन संसाधन अभी तक स्थापित नहीं किये गए हों।
  - एक टोही सर्वेक्षण किसी विशिष्ट स्थान एवं विशिष्ट समय में संभावित ऐतिहासिक संसाधनों का एक स्नैपशॉट (Snapshot) प्रदान करता है।
- इन संशोधनों का उद्देश्य नीलामी के लिये अधिक खनिज ब्लॉकों की पहचान करना और इस प्रकार अन्वेषण एवं उत्पादन की गति को बढ़ाना था जिसके परिणामस्वरूप देश में खनिजों की उपलब्धता में सुधार हुआ तथा इस क्षेत्र में रोज़गार में वृद्धि हुई।

## खनिज (नीलामी) नियम, 2015:

- अन्य बातों के साथ-साथ समग्र लाइसेंस के लिये ऐसे ब्लॉकों की नीलामी को सक्षम बनाने हेतु बोली सुरक्षा, प्रदर्शन सुरक्षा और अन्य पात्रता शर्तों को निर्धारित करने के लिये इसमें संशोधन किया गया।
- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने संभावित बोलीदाताओं और अन्य हितधारकों की सहायता के लिये ऑनलाइन कोर बिज़नेस इंटीग्रेटेड सिस्टम प्रोजेक्ट (ओसीबीआईएस) पोर्टल में भू-वैज्ञानिकों के लिये संभावित क्षेत्रों हेतु आधारभूत भू-विज्ञान डेटाबेस भी उपलब्ध कराया है।

## प्रमुख बिंदु

- **खनिज (खनिज सामग्री के साक्ष्य) द्वितीय संशोधन नियम, 2021:**
  - यह किसी भी व्यक्ति (जो नीलामी में भाग लेने का इरादा रखता है) को समग्र लाइसेंसिंग प्रक्रिया के लिये नीलामी हेतु उपयुक्त ब्लॉक प्रस्तावित करने में सक्षम करेगा, जहाँ उपलब्ध भू-विज्ञान डेटा के आधार पर ब्लॉक की खनिज क्षमता की पहचान की गई है।
  - राज्य सरकार द्वारा गठित एक समिति इस प्रकार प्रस्तावित ब्लॉकों की खनिज क्षमता का आकलन करेगी और नीलामी के लिये ब्लॉक की सिफारिश करेगी।
- **खनिज (नीलामी) चौथा संशोधन नियम, 2021:**
  - यह प्रावधान करेगा कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित ब्लॉकों को नीलामी के लिये अधिसूचित किया जाता है, तो उक्त व्यक्ति को उसके द्वारा प्रस्तावित ब्लॉकों की नीलामी में बोली सुरक्षा राशि की केवल आधी राशि जमा करने के लिये प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

    - सभी मामलों में खनन पट्टा क्षेत्र के आंशकि समर्पण की अनुमतदिी गई है।
        - अभी तक आंशकि समर्पण की अनुमतकिेवल वन संबंधी मंज़ूरी न मलिने की स्थतिमिें ही दी जाती थी।
    - खनन या खनजि प्रसाधन के दौरान उत्पन्न होने वाले थ्रेशोल्ड मूल्य से नीचे के ओवरबर्डन/अपशषि्ट रॉक/खनजि के नपिटान की अनुमतदिेने के लयि भी प्रावधान शामलि कयि गए हैं।
        - खनन पट्टा स्वीकृत करने के लयि न्यूनतम क्षेत्र सीमा को 5 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर कर दयिा गया है। कुछ वशिषि्ट जमाओं के लयि यह न्यूनतम 2 हेक्टेयर भी है।
- **उद्देश्य:**
    - नीलामी के लयि अधकि खनजि ब्लॉकों की पहचान करना और इस प्रकार अन्वेषण एवं उत्पादन की गतमिें वृद्धकिरना, जसिके परणिामस्वरूप देश में खनजिों की उपलब्धता में सुधार हो सकेगा।
- **महत्त्व:**
    - यह नीलामी में अधकि भागीदारी को प्रोत्साहति करेगा और प्रतस्पिर्द्धा को बढ़ावा देगा।
    - यह राज्य सरकारों को समग्र लाइसेंस की नीलामी के लयि और अधकि ब्लॉकों की पहचान करने की सुवधिा प्रदान करेगा।
- **खनन से संबंधति पहलें:**
    - **राष्ट्रीय खनजि नीत2019**
    - नीलाम कयि गए ग्रीनफील्ड खनजि ब्लॉकों का शीघ्र संचालन सुनशि्चति करने हेतु पहल शुरू की गई है।
    - खनन क्षेत्र में करों को युक्तसिंगत बनाने पर भी वचिार कयिा जा रहा है।
    - 'आत्मनरि्भर भारत योजना' के तहत खनजि क्षेत्र में नजिी नविेश बढ़ाने और अन्य सुधारों की घोषणा की गई है।
    - ज़लिा खनजि फाउंडेशन नधि

## भारत में खनजि:

- भारत खनजि संसाधनों की दृष्टसि समृद्ध है। **अन्वेषणों में 20,000 से अधकि ज्ञात खनजि ज़मा** और 60 से अधकि खनजिों के पुनर्प्राप्तयिोग्य भंडार पाए गए हैं।
- भारत के 11 राज्यों (आंध्र प्रदेश, ओडशिा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चमि बंगाल, महाराष्ट्र, तमलिनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक) में कुल परचिालन खदानों की संख्या का **90% हस्सिा** है।
- वशि्व स्तर पर भारत को क्रोमाइट, लौह अयस्क, कोयला और बॉक्साइट जैसे मूल्यवान खनजिों के प्रमुख **उत्पादकों में से एक के रूप में स्थान** दयिा गया है।
- भारत का कुल भौगोलकि क्षेत्र **लगभग 328 मलियिन हेक्टेयर** है, जसिमें से खनन पट्टा (ईंधन, परमाणु और लघु खनजिों के अलावा) लगभग 0.14% है, जसिका बमुश्कलि 20% खनन कयिा जाता है।.
- भारतीय उप-मृदा तटवर्ती और अपतटीय कच्चे तेल एवं गैस, कोयला, लौह अयस्क, तांबा, बॉक्साइट, आदसि समृद्ध है।
- भारत **95 खनजिों का उत्पादन** करता है, जसिमें 4 ईंधन, 10 धातु, 23 गैर-धातु, 3 परमाणु और 55 लघु खनजि (भवन और अन्य सामग्री सहति) शामलि हैं।

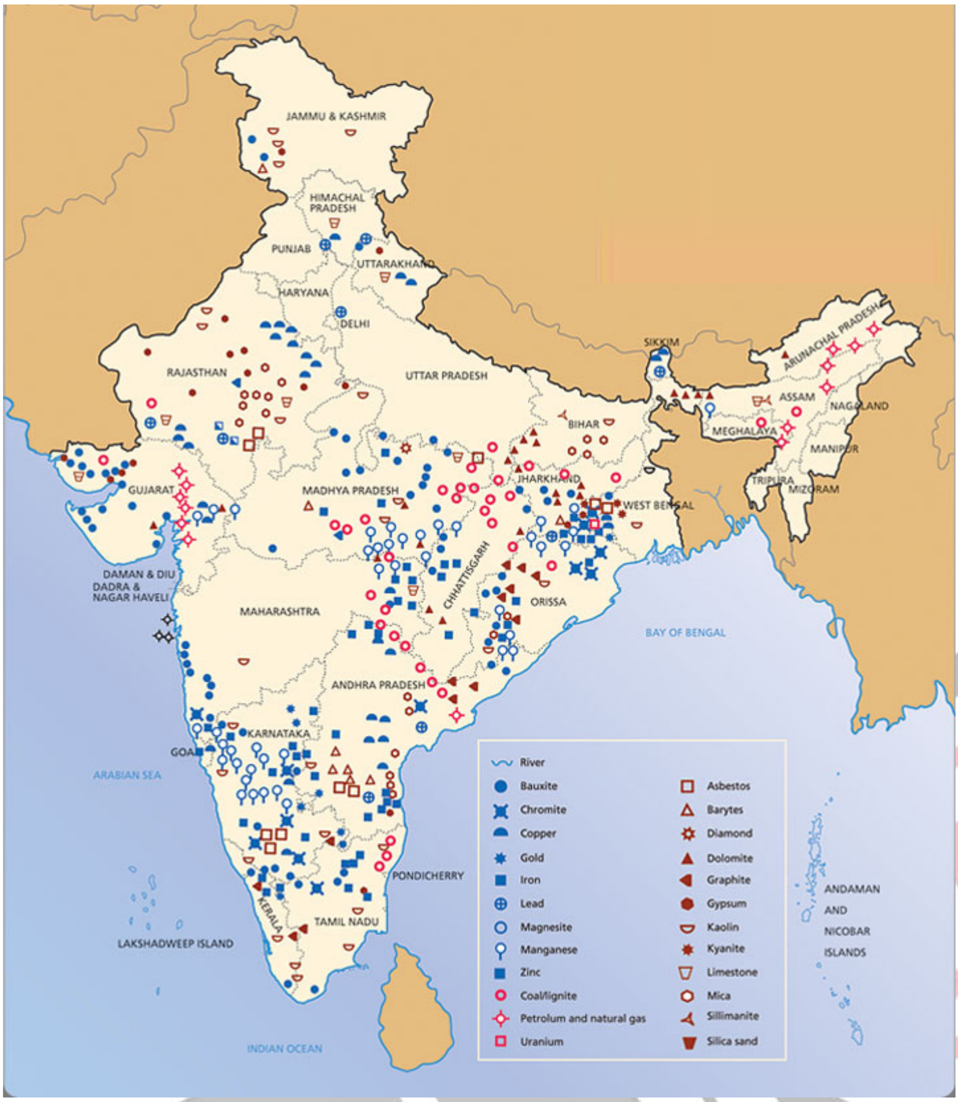


**स्रोत: पीआईबी**

---

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-analysis/20-12-2021/print